

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द  
(श्री रामचरण शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

BCMS No.- 2023/52)

करण संख्या :- 02/2023 (गुण्डा एक्ट)

कार्य दिनांक :- 27.03.2023

निर्णय दिनांक :- 19.07.2023

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

—प्रार्थी

बनाम

श्री धीरज पिता मनोहरलाल कुमावत उम्र 23 वर्ष निवासी थाना कांकरोली जिला राजसमन्द  
—अप्रार्थी, गे०सा०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :-

- 1- सहायक लोक अभियोजक
- 2- श्री भरत पालीवाल, अधिवक्ता गैरसायल

—: निर्णय :-

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट होदय राजसमन्द के आदेश क्रमांक:एफ17/4(7)अअसा/2011/1527 दिनांक 01-03-2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे०सा० के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल/अप्रार्थी के विरुद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना राजनगर में दर्ज हुई है :-

क्र.सं.	प्र०सं०	जुर्म धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	284/2020	379 भादस	चार्ज शीट नम्बर 216/2020	जैर ट्रायल
2	311/2020	379 भादस	चार्ज शीट नम्बर 219/2020	जैर ट्रायल
3.	365/2020	379 भादस	चार्ज शीट नम्बर 224/2020	जैर ट्रायल

गैरसायल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल मय अधिवक्ता उपस्थित । गैर सायल द्वारा 5,000/- रुपये के जमानत मुचलके पेश किया गये, गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर बहस की

गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि गलत रूपेण कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया है, गैर सायल के विरुद्ध जिन प्रकरणों का नोटिस जारी किया गया है, वे दोनों प्रकरण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर लेने से -

P.T.O.

(2)

सजा हुई है। गैर सायल अब भविष्य में ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, गैर सायल के विरुद्ध की गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमाना न्यायहित में आवश्यक है। गैर सायल द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे कि जन सामान्य की सुरक्षा को कोई खतरा हो और गैर सायल न ही आदतन अपराधी है, गैरसायल के विरुद्ध चलाई जा रही उपरोक्त कार्यवाही अन्तर्गत धारा 2 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 को ड्रॉप फरमाई जावें।

सहायक लोक अभियोजक ने अपने तर्क में स्पष्ट किया कि गैर सायल के विरुद्ध 379 भादस के 7 प्रकरण दर्ज किये गये हैं दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सक्षम न्यायालय में जैर ट्रायल है। तथा गैरसायल के विरुद्ध 6 माह की समयावधि में चोरी व नकबजनी के 07 प्रकरण दर्ज हुए हैं जो गुण्डा एक्ट की धारा 2 की परिभाषा में आता है, अतः इस अपराधी/गैरसायल से अन्य व्यक्ति को क्षति पहुँचने की पूर्ण अन्देशा है, एवं समाज में शान्ति भंग होने का पूर्ण अन्देशा है, अतः गैर सायल को जिला बदर किया जाना सार्वजनिक हित में रहेगा।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध 6 माह की समयावधि में चोरी व नकबजनी के 07 प्रकरण दर्ज हुए हैं जो गुण्डा एक्ट की धारा 2 की परिभाषा में आता है, अतः इस अपराधी/गैरसायल से अन्य व्यक्ति को क्षति पहुँचने की पूर्ण अन्देशा है, एवं समाज में शान्ति भंग होने का पूर्ण अन्देशा है, पैरवी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रमाणों से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ, गैर सायल के ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है, गैर सायल को इन आरोपों के बचाव में साक्ष्य एवं प्रमाण पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु गैर सायल ने इसके खण्डन में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किये हैं, जिससे कि पैरवी पक्ष के प्रस्तुत आरोपों एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणों को न माना जा सके। गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत लगे आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर श्री धीरज पिता मनोहरलाल कुमावत उम्र 23 वर्ष निवासी थाना कांकरोली जिला राजसमंद के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध होने से इन्हें तीन दिन के लिए जिला राजसमन्द की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है कि वह बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के तीन दिन तक जिला राजसमन्द में प्रवेश नहीं करें। जिले से निष्कासन के दौरान गैर सायल प्रत्येक दिवस को पुलिस थाना मावली जिला उदयपुर में अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा। यह आदेश गैर सायल की पुलिस थाना मावली, जिला उदयपुर में प्रथम उपस्थित तिथि से लागू होगा। गैर सायल की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक महो० राजसमन्द, उदयपुर एवं संबंधित थानाधिकारियों को प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा० फौसल शुमार होकर दाखिल वाकतूर हो।



(समवेत) (सि) 23  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द